तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **सवा वगैरह बनाम नारणा वगैरह, मुकदमा संख्या :– 08 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
22.01.2025		

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद सांचौर को पुराना खेत खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा भूमि हम प्रार्थीगण के पिता वोहता वल्द लाला के खातेदारी सुदा कब्जा काश्तसुदा की है जो बड़ा चक है। समय समय पर भाईयांन बंटवाड़ानुसार भूमि का विभाजन किया जाकर द्वितीय सेटलमेंट में नये खसरा नंबरान सृजित हुए जिसमें खसरा संख्या 2557 / 3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीगण के पित वोहता की थी। यह भूमि हमारे पिता के कब्जे काश्त में थी हमारे पिता की फौतेदगी के बाद हम प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त काबिज है। अप्रार्थी के नाम उक्त भूमि इन्द्राज होने बाबत हमने अप्रार्थी को कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि मैं तुम्हारे पक्ष में सरकार का नोटिस आएगा तो बयान कर दुंगा व भूमि तुम्हारे नाम दर्ज करवा दूंगा किन्तु अब अप्रार्थी नारणा की नीयत खराब हो गई है। अप्रार्थी ने अभी कुछ दिन पूर्व ऐलानियां धमकियां दी है कि खेत मेरे नाम है, मैं खेत बेच दूंगा लेकिन तुम्हारे नाम भूमि नहीं करवाउंगा। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो अप्रार्थी हमारे कब्जे काश्त व मालिकी हक हकूक की भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से जबरन डण्डे के बल बाहर खदेड़ देंगें जिससे हम प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयो पैसों में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादीर फरमायी जावें कि वे वांके सरहद मौजा सांचौर का नवीन खेत खसरा संख्या 2557 / 3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर में हम प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही पैदा करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा नह ही भूमि आगे किसी को बेचान, रहन, भोगलावा, तर्क, बख्शीश या हस्तांतरण वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आराजी के पुराने खसरा संख्या 568 से नवसर्जित सभी खसरों का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व अन्य भाईयों की सहमति से एक बार अपने अपने नाम इन्द्राज किया जा चुका है। इस कारण प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड नहीं होने से तथा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का लगातार एडेवर्स पेजैशन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सांचौर के नवीन खसरा संख्या 2557 / 3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:18 IST
Reason: SelfAttested